राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

विकास खण्ड शासन सचिववालय जयपुर दुरभाष 0141–2227275, ईमेल– seprd123@gmail.com, rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (42)परावि/पीसी/नवसृजित ग्रा.पं. एवं पं.स./2015–16/ 2212 जयपुर, दिनांक : 16.11.15

:: प्रशासनिक स्वीकृती ::

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 की कियान्विती के तहत निम्न लिखित नवगठित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एतदद्वारा जारी की जाती है :–

क. सं.	जिला		नव सृजित पंचायत समिति	राशि रूपये (करोड में)
1	2	3	4	5
1	अजमेर	1	सरवाड़	2.00
2	बांसवाड़ा	1	तलवाड़ा	2.00
		2	अरथुना	2.00
		3	गांगडतलाई	2.00
3	बाडमेंर	1	रामसर	2.00
		2	गिडा	2.00
		3	पाटौदी	2.00
		4	कल्याणपुर	2.00
		5	धनाउ	2.00
		6	सेढया	2.00
		7	समदड़ी	2.00
		8	गुढामलानी	2.00
		9	गडरारोड़	2.00
4	भरतपुर	1	पहाड़ी	2.00
5	भीलवाड़ा	1	बिजौलिया	2.00
6	बीकानेर	1	पांचू	2.00
7	चूरू	1	बीदासर	2.00
8	दौसा	1	लवाण	2.00
9	धौलपुर	1	सैंपउ	2.00
10	डूंगरपुर	1	साबला	2.00
		2	गलिया कोट	2.00
		3	चिखली	2.00
		4	जोथली	2.00
		5	दोवड़ा	2.00
11	गंगानगर	1	श्रीविजयनगर	2.00
12	जयपुर	1	पावटा	2.00
		2	जालसू	2.00
13	झालावाड़	1	भवानी मण्डी	2.00
		2	अकलेरा	2.00
14	जोधुपर	1	सेखाला	2.00

		2	देचु	2.00
		3	तिंवरी	2.00
		4	वापिंणी	2.00
		5	लोहावट	2.00
		6	पीपाड़ शहर	2.00
15	करौली	1	मण्डरायल	2.00
16	नागौर	1	मौलासर	2.00
		2	नावां	2.00
		3	खींवसर	2.00
17	सवाई माधोपुर	1	चौथ का बरवाड़ा	2.00
18	सीकर	1	पाटन	2.00
19	उदयपुर	1	ऋषभदेव	2.00
		2	सायरा	2.00
		3	फलासिया	2.00
		4	झल्लारा	2.00
		5	सेमारी	2.00
		6	कुराबड़	2.00
योग		47		**94.00**

उपरोक्त स्वीकृति निम्नाकित शर्तो पर प्रदत की जा रही है :–

1 प्रशासनिक स्वीकृति कार्य के प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर जारी की जा रही है। ग्रामीण कार्य निदेशिका 2015 के प्रावधानो के अनुसार कार्य का तकमीना, टी. एस. प्रपत्र, तकनीकी रिपोर्ट, कार्य पूर्व का फोटोग्राफ अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद के हस्ताक्षर से अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय को अधिकतम 15 दिवस की अवधि में प्रेषित किया जावेगा, जिसके आधार पर राज्य स्तर से तकनीकी स्वीकृति जारी की जा कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

2 निर्माण कार्यों की कार्यकारी ऐजेन्सी संबंधित पंचायत समिति होगी। कार्य पंचायत समिति द्वारा खुली निविदा आमन्त्रित कर, ठेके पर ही सम्पादित किया जावेगा।

3 वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

4 उक्त कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के निर्देश संख्या 38.5 के अनुसार होगा।

5 प्रस्तावित कार्य की भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तकनीकी स्वीकृति के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा प्रेषित किये जावेंगे।

6 ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य सम्पादन किया जावेगा।

7 उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित/सम्पादित/प्रगतिरत/अधूरा नहीं है, इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावेगा।

8 पंचायत समिति कार्यालय भवन के लिए 10 बीघा भूमि. चिन्हीकरण के लिए जिलो को अनुरोध किया गया था अतः जिन स्थानों पर 10 बीघा भूमि से कम भूमि चिन्हीत/आवंटित की गई है उनके कारण स्पष्ट रूप से अंकित किये जावे। कारणों से सतुष्ट होने के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।

9 उक्त कार्य हेतु राज्य स्तर पर तैयार की गई मानक ड्राइंग को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप परीक्षण करते हुए, कियान्वित किये जाने वाले कार्य के अनुसार ड्राइंग प्रमाणित कर भिजवाये।

10 नवसृजित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के भवन निर्माण कार्य के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा विभिन्न विभागीय विकास योजनाओ से वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की सूचना भी लागत अनुमान पत्र के साथ प्रेषित की जावे। उन कार्यो की वित्तीय स्वीकृति प्राथमिकता से जारी की जावेगी, जिनके लिए पं.स. /जि.प. द्वारा अपने स्तर से राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

11 मा0 मंत्री महोदय ग्रा.वि.एवं पंरावि की ओर से विधायक महोदय को विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः इस संबंध में भी प्रगति प्रस्तुत की जावे।

12 बिन्दु संख्या 9 की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्त विभाग को शेष राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जावेगा।

13 विभागीय पत्रांक 865 दिनांक 7.5.15 की पालना की जावे।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6 अति0 मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त कार्यों की ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के प्रावधानो के अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी कराने का श्रम करावे।
7 परियोजना निदेशक एम एण्ड ई, ग्रामीण विकास से निवेदन है कि आईडब्ल्यूएमएस में इस इन्द्राज हेतु आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करावे।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. संबंधित से अनुरोध है कि उक्त शर्तो की पालना कराते हये आवश्यक दस्तावेज तत्काल मुख्यालय को भिजवाने का श्रम करावे ताकि तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही की जा सके।
9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ....
10 प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11 रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेवश्री)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.)